न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान राधेश्याम बनाम कर्मजीत सिंह

प्रकरण संख्या 2/2020 अन्तर्गत धारा 151 CPC

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
9/3	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 02/2020

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. राधेश्याम पुत्र सोना चन्द जाति अरोडा निवासी 13 एच तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 6 नजदीक हनुमान मन्दिर केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. कर्मजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:–09.01.2020

उपस्थितः 1.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री कुलदीप सिंह, रोशन लाल राठौड अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांक : 09.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रार्थी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि चक 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 में से आवागमन हेतु 2-2 विस्वा रास्ता मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे। जिसमें श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2019 को प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर दिनांक 09.12.2019 को उक्त दावा का निर्णय किया गया। एकतरफा जारी निर्णय दिनांक 09.12.2019 में प्रार्थी को उक्त दावा के सम्मन विधिवत प्राप्त नहीं हुए थे। अप्रार्थी कर्मजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र के शीर्षक में प्रार्थी के पिता का नाम सोनाचन्द के स्थान पर खेमचन्द किया गया है, जो कि गलत दर्ज किया गया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के पिता का नाम जानबूझकर गलत दर्ज किया है, ताकि प्रार्थी को विधिवत तामील ना हो और उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर न्यायालय से निर्णय करवाया जा सके। अप्रार्थी ने प्रार्थी का पता गलत अंकित किया हुआ है। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के शीर्षक में प्रार्थी का पता हाल आबाद महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय केसरीसिंहपुर लिखवाया हुआ है। जबकि प्रार्थी का वर्तमान पता वार्ड नम्बर 9 नजदीक हनुमान मन्दिर केसरीसिंहपुर के पास है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के पिता का नाम एवं प्रार्थी का पता जान बूझकर गलत अंकित कर नोटिस, जो दिनांक 25.05.2018 को जारी किये गये थे, जिसमें सवार द्वारा रिपोर्ट की गई कि प्रार्थी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पास नहीं रहता है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का पता गलत दर्ज कर, माननीय न्यायालय को गुमराह करके, गलत आधारो पर निर्णय प्राप्त किया है। इसलिए निर्णय दिनांक 09.12.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किये गये कि वह प्रार्थी का नया सही पता प्रस्तुत कर नोटिस जारी करवाये। परन्तु अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना ना करते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के नोटिस अखबार में छाया करवाये जाये। जिसमें माननीय न्यायालय ने 25.02.2019 को प्रार्थी के नोटिस अखबार में छाया करने के आदेश दिये गये। परन्तु अप्रार्थी ने अखबार में जो नोटिस छाया करवाये उसमें भी प्रार्थी का पता एंव पिता का गलत अंकित किया गया। माननीय न्यायालय में अखबार में नोटिस की तामील मानते हुए दिनांक 25.06.2019 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किये गये। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.12.2019 निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त निर्णय दिनांक 09.12.2019 को किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र पूर्ण कोट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम मुकदमा नम्बर 10/2018 में पारित एकतरफा निर्णय दिनांक 09.12.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निरस्त किये जाने एंव प्रार्थी को उक्त अनवान के वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुत करने साक्ष्य पेश करने एंव समुचित पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 102 की प्रति, चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 15 की प्रति, अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम मुकदमा नम्बर 10/2018 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करवाकर उसमें जवाबदावा प्रस्तुत करने साक्ष्य पेश करने एंव समुचित पैरवी करने की अनुमति चाही है। लिहाजा अप्रार्थी कर्मजीत सिह के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में प्रार्थी राधेश्याम के पिता का नाम खेमचन्द पता 13 एच हाल आबाद नजदीक महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय केसरीसिंहपुर अंकित कर तामील करवाई गई है। जबकि प्रार्थी राधेश्याम के पिता का नाम खेमचन्द है व पता वार्ड नम्बर 9 नजदीक हनुमान मन्दिर केसरीसिंहपुर है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए को जिला अभिलेखागार क्लेक्ट्रेट श्रीगंगानगर से तलब किया जाकर, उसमें अप्रार्थी राधेश्याम के पिता का नाम व पता सही अंकित किए जाने व अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:28 IST
Reason: SelfAttested